R- 1759-PBR/2001

निगरानी

न्यायालय, अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, केम्प इन्दौर

श्री पी. [illegible] द्वारा [illegible] दि. 14.9.2001 [illegible] पेश किया। 14.9.2001 [illegible]

नन्दा पिता हुकमीचंद भोई,
निवासी- नौगाँव, धार .... प्रार्थी

विरुद्ध

सतीश कुमार पिता बसन्तीलाल गट्टानी
निवासी- धार, हा.मु. इन्दौर .... विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी श्री एम. मोहनराव, अ[illegible] आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के अपील प्रकरण क्रमांक 199/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 20.8.2001 द्वारा विपक्षी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये उससे असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है

प्रकरण के तथ्य :-

इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहसीलदार धार के समक्ष कब्जा इन्द्राज किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार धार की राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/96-97/अ-6 पर होकर आदेश दिनांक 24.10.97 द्वारा प्रार्थी का नाम रेवेन्यू का[illegible] में कब्जे पर वर्ष 1998-99 से किया गया। उक्त प्रविष्टि से अ[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (नंदा / सतीशकुमार)

प्रकरण कमांक निगरानी 1759–एक / 2001 जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 10–6–2009 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 10–6–09 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2001 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	